रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 17, 2001/भाद्र 26, 1923
No. 244] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 17, 2001/BHADRA 26, 1923

भारतीय रिजर्व बैंक

(औद्योगिक और निर्यात ऋण विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुम्बई, 23 जुलाई, 2001

सं. औनिऋवि. 3/08.15.01/2001-02.—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जे, 45 के और 45 एल द्वारा प्रदत्त तथा इस संबंध में अधिकृत करने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात से संतुष्ट हो जाने के बाद कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि दिनांक 30 अप्रैल, 2001 की अधिसूचना सं. औनिऋवि.2/08.15.01/2000-01 द्वारा यथासंशोधित दिनांक 10 अक्तूबर, 2000 की अधिसूचना सं. औनिऋवि. 1/08.15.01/2000-01 द्वारा निर्गत ''वाणिज्यिक पत्र जारी करने के संबंध में दिशानिर्देश'' 23 जुलाई, 2001 से निम्न प्रकार संशोधित हो जाएंगे :—

पैराग्राफ 7 में दूसरे वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित वाक्य पढ़ा जाए :

''निर्गमकर्त्ता द्वारा जारी किए जाने वाले वाणिज्यिक पत्र की कुल राशि इसके निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीमा या निर्दिष्ट रेटिंग के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट राशि—दोनों में से जो भी कम हो, होगी।''

2. पैराग्राफ 5 में, पैराग्राफ के अंत में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाए :

''वाणिज्यिक पत्र की परिपक्वता की तारीख निर्गमकर्ता की क्रेडिट रेटिंग की विधिमान्यता की तारीख से बाद की नहीं होनी चाहिए।''

3. पैराग्राफ 20 में, मद (ख) के अंतर्गत उप-मद (iii) को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :

''निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट द्वारा सत्यापित किए गए मूल दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट की अभिरक्षा में रखी जानी चाहिएं।''

4. पैराग्राफ 21 के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ रखा जाए :

''निश्चित आय वाली मुद्रा बाजार प्रतिभूतियों के लिए स्वत: नियामक संगठन के रूप में फिक्सड इनकम मनी मार्केट एण्ड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक के साथ सलाह-मशविरा करके वाणिज्यिक पत्र बाजार के परिचालनगत लचीलेपन तथा निर्बाध संचालन के लिए, अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप, कोई भी मानकीकृत कार्यविधि और अभिलेखपद्धति निर्धारित कर सकता है जिसका पालन वाणिज्यिक पत्र बाज़ार के भागीदारों को करना पड़ेगा।''

5. अधिसूचना की अनुसूची III में, जिसमें निर्गमकर्ता और भुगतानकर्ता एजेंट द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्र निर्दिष्ट किए गए हैं, ''मूल दस्तावेज हमारी अभिरक्षा में रखे जाएंगे'' के स्थान पर ''मूल दस्तावेजों की प्रमाणीकृत प्रतियां हमारी अभिरक्षा में रखी जाएंगी'' पढ़ा जाए।

डी. पी. सारडा, कार्यपालक निदेशक

[सं. विज्ञापन III/IV/38/01/असाधारण]

RESERVE BANK OF INDIA

(Industrial and Export Credit Department)

(Central Office)

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd July, 2001

No. IECD/3/08.15.01/2001-02.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the "Guidelines for Issue of Commercial Paper (CP)" issued vide Notification No. IECD 1/08.15.01/2000-01 dated October 10, 2000 as amended vide Notification No. IECD/2/08.15.01/2000-01 dated April 30, 2001 shall be further amended in the following manner with effect from July 23, 2001.

(1) In paragraph 7, the second sentence may be substituted by the following.sentence :

"The aggregate amount of CP from an issuer shall be within the limit as approved by its Board of Directors or the quantum indicated by the Credit Rating Agency for the specified rating, whichever is lower."

(2) In paragraph 5, the following sentence may be added at the end of the paragraph :

"The maturity date of the CP should not go beyond the date up to which the credit rating of the issuer is valid."

(3) In paragraph 20, sub-item (iii) under item (b) may be read as under :

"Certified copies of original documents verified by the IPA should be held in the custody of IPA."

(4) Paragraph 21 may be substituted by the following paragraph :

"Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India (FIMMDA), as a self-regulatory organisation (SRO) for the fixed income money market securities, may prescribe, in consultation with the RBI, for operational flexibility and smooth functioning of CP market, any standardised procedure and documentation that are to be followed by the participants, in consonance with the international best practices."

(5) In Schedule III to the Notification specifying the format of certificate from IPA, the expression "Original documents are held in our custody" may be substituted by the expression ''Certified copies of original documents are held in our custody".

D. P. SARDA, Executive Director

[No. ADVT/III/IV/38/01-Exty.]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054